रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-266980
SG-DL-E-17102025-266980

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 286
No. 313]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947	[N. C. T. D. No. 286

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

बाँट एवं माप विभाग

(विधि माप विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

फा.सं.12(2)/डब्ल्यू एंड एम/प्रवर्तन/2023/9310.—दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ धारा 53 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए नियमों के प्रारूप पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उनके कार्यालय, बाट एवं माप विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग), प्लॉट संख्या-17, संस्थागत क्षेत्र, विश्वास नगर, नई दिल्ली-110032 पर या ईमेल: controllerwmd@gmail.com और acwmhq@gmail.com पर प्राप्त किए जाएंगे।

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

(i) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची XI में संशोधन:-

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में, अनुसूची-XI को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुसूची-XI

[नियम 25 देखें]

विभिन्न अपराधों के लिए समाधान शुल्क

क्रम. सं.	अपराध की धारा और प्रकृति	दंडात्मक धारा	समाधानशुल्क
1.	धारा 8(3). मानक बाट, माप या संख्या के अलावा अन्य बाट, माप या संख्या का उपयोग	धारा 25. गैर-मानक बाट या माप के उपयोग के लिए दंड	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
2.	धारा 8(4). मानकों के अनुरूप न होने वाले बाट या माप का विनिर्माण	धारा 27. गैर-मानक बाट या माप के निर्माण या बिक्री के लिए जुर्माना	(i) डीलर/विक्रेता- ₹50,000/- (ii) निर्माता- ₹1,00,000/-
3.	धारा 10. माल आदि के संबंध में निर्धारित से अधिक वजन, माप या संख्या के आधार पर लेनदेन या व्यवहार या अनुबंध।	धारा 28. निर्धारित मानकों के उल्लंघन में कोई लेनदेन, सौदा या अनुबंध करने पर जुर्माना।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-

4.	धारा 11. वजन या माप या संख्या की मानक इकाई के अनुसार मूल्य सूची या मूल्य में परिवर्तन की घोषणा करना या जारी करना या प्रदर्शित करना।	धारा 29. गैर-मानक इकाइयों को उद्धृत करने या प्रकाशित करने आदि के लिए जुर्माना	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
5.	धारा 12. अनुबंध या समझौते द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम मात्रा में सेवा पर किसी भी वस्तु या चीज की मांग करना या प्राप्त करना।	धारा 30. मानक बाट या माप के उल्लंघन में लेनदेन के लिए जुर्माना [पहली बार अपराध करने पर जुर्माना दस हजार रुपए तक हो सकता है]	₹ 10,000/-
6.	धारा 17. निर्माता, डीलर या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों, रजिस्टरों का रखरखाव और मांग पर वजन, माप दस्तावेज, रजिस्टर कीमाँग	धारा 31. दस्तावेज आदि प्रस्तुत न करने पर जुर्माना।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
7.	धारा 18(1). खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं द्वारा पूर्व-पैकेज्ड वस्तु के संबंध में घोषणा का अनुपालन	धारा 36(1) गैर-मानक पैकेजों की बिक्री आदि के लिए जुर्माना- (पैकेज पर दी गई घोषणाओं के अनुरूप नहीं है)	(i) खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं के लिए - ₹ 5,000/- (ii) निर्माताओं या आयातकों के लिए - ₹25,000/-
8.	धारा 18(2). खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं द्वारा पूर्व-पैकेज्ड वस्तु की शुद्ध मात्रा आवश्यकता का अनुपालन	धारा 36(2) गैर-मानक पैकेजों की बिक्री आदि के लिए जुर्माना- (शुद्ध मात्रा में त्रुटि के साथ)	(i) खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं के लिए ₹10,000/- (ii) निर्माताओं या आयातकों के लिए ₹50,000/-
9.	धारा 23. केवल लाइसेंस के साथ बाट या माप का निर्माता	धारा 45. बिना लाइसेंस के बाट और माप के विनिर्माण के लिए जुर्माना [पहली बार अपराध करने	₹20,000/-

		पर बीस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है]	
10.	धारा 23. बाट या माप की मरम्मत/बिक्री केवल लाइसेंस के साथ।	धारा 46. बिना लाइसेंस के बाट और माप की मरम्मत, बिक्री आदि के लिए जुर्माना [पहली बार अपराध करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है]	₹5,000/-
11.	धारा 24. लेन-देन या संरक्षण में सत्यापित बाट या माप का उपयोग	धारा 33. असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए जुर्माना [जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पहली बार अपराध करने पर दस हजार रुपये तक हो सकता है]	₹10,000/-
12.	धारा 33. सत्यापन के बिना बाट या माप की बिक्री।	धारा 33. असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए जुर्माना [जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पहली बार अपराध करने पर दस हजार रुपये तक हो सकता है]	₹10,000/-
13.	धारा 34. गैर-मानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं की बिक्री या वितरण	धारा 34. गैर-मानक वजन या माप द्वारा वस्तुओं आदि की बिक्री या वितरण के लिए जुर्माना	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
14.	धारा 35. गैर-मानक वजन या माप द्वारा सेवा प्रदान करना	धारा 35. गैर-मानक वजन, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए जुर्माना	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/-

			(vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
15.	धारा 41. गलत सूचना देने या गलत रिटर्न देने पर जुर्माना	धारा 41. गलत सूचना देने या गलत रिटर्न देने पर जुर्माना	₹ 5,000/-
16.	धारा 47. लाइसेंस के साथ छेड़छाड़	धारा 47. लाइसेंस के साथ छेड़छाड़ के लिए जुर्माना [पहली बार अपराध करने पर बीस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है]	₹20,000/-
17.	धारा 53(3). अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का प्रावधान	धारा 53(3). किसी नियम के प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड जिसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है	₹5,000/-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार
पंकज कुमार,आई.ए.एस, नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT
(DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2025

F. No. 12(2)/W&M/Enforcement/2023/9310.— The following draft of the rules, to amend the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, which the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act 2009, is published for the information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that draft of the rules, to amend the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 will be taken into consideration by the Govt of NCT of Delhi on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions in this behalf shall be received by the Controller, Legal Metrology Department,, Government of National Capital Territory of Delhi, in his office at Weights & Measures Department (Department Of Legal Metrology), Plot No-17, Institutional Area, Vishwas Nagar, New Delhi-110032 or on emails: controllerwmd@gmail.com&acwmhq@gmail.com.

DRAFT OF DELHI LEGAL METROLOGY (ENFORCEMENT) AMENDMENT RULES, 2025

1. Short title and commencement:-

(i) These rules may be called the **DELHI LEGAL METROLOGY (ENFORCEMENT) AMENDMENT RULES, 2025**.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Schedule XI:-**

In the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, Schedule-XI shall be substituted as under:

Schedule-XI

[See rule 25]

COMPOUNDING FEES FOR VARIOUS OFFENCES

Sr. No.	Section and nature of offence	Penal Section	Compounding fee
1	Sec 8(3). Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration	Sec 25. Penalty for use of Non-Standard weight or measure	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/ Storage Depos etc.)-₹50,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
2	Sec 8(4). Manufacture of weight or measure not conforming to Standards	Sec 27. Penalty for Manufacture or sale of non-standard weight or measure	(i) Dealer/Seller-₹50,000/- (ii) Manufacturer-₹1,00,000/-
3.	Sec 10. Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by weight, measure or number than prescribed.	Sec 28. Penalty for making any transaction, deal or contract in contravention of the prescribed standards.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹50,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
4.	Sec 11. Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price than in accordance with standard unit of weight or measure or numeration.	Sec 29. Penalty for quoting or publishing, etc., of non-standard units	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/ Storage Depos etc.)-₹50,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
5.	Sec 12. Demanding or receiving any articles or thing on service in excess or less than the quantity specified by contract or agreement.	Sec 30. Penalty for transaction in contravention of standards weights or measures [Fine which may extend to ten thousand Rupees, for the 1st offence]	₹ 10,000/-
6.	Sec 17. Maintenance of records, registers by manufacturer, dealer or repairer and production of weight, measure document, register on demand	Sec 31. Penalty for non production of documents etc.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/ Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
7.	Sec 18(1). Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by retailers or wholesale dealers	Sec 36(1). Penalty for selling, etc. of non-standard packages- (Does not conform to the declarations on the package)	(i) For Retailers or Wholesale Dealers - ₹5,000/- (ii) For manufacturers or importers- ₹25,000/-

8.	Sec 18(2). Compliance of net quantity requirement of pre-packaged commodity by retailers or wholesale dealers	Sec 36(2). Penalty for selling, etc. of non-standard packages- (With error in Net Quantity)	(i) For Retailers or Wholesale Dealers ₹ 10,000/- (ii) For manufacturers or importers ₹ 50,000/-
9.	Sec 23. Manufacturer of weight or measure only with licence	Sec 45. Penalty for Manufacture of weight and measure without licence [Fine which may extend to Twenty Thousand Rupees for the 1st offence]	₹20,000/-
10.	Sec 23. Repair/sale of weight or measure only with licence.	Sec 46. Penalty for Repair, Sale, etc., of weight and measure without licence [Fine which may extend to Five Thousand Rupees for the 1st offence]	₹5,000/-
11.	Sec 24. Use of verified weight or measure in transaction or protection	Sec 33. Penalty for use of unverified weight or measure [Fine shall not be less than two thousand Rupees but which may extend to Ten Thousand Rupees for the 1st offence]	₹10,000/-
12.	Sec 33. Sale of weight or measure without verification.	Sec 33. Penalty for use of unverified weight or measure [Fine shall not be less than two thousand Rupees but which may extend to Ten Thousand Rupees for the 1st offence]	₹10,000/-
13.	Sec 34. Sale or delivery of commodities by non-standards weights or measure	Sec 34. Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by non-standard weight or measure	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
14.	Sec 35. Rendering service by non-standard weight or measure	Sec 35. Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
15.	Sec 41. Penalty for giving false information or false return	Sec 41. Penalty for giving false information or false return	₹ 5,000/-

16.	Sec 47. Tampering with licence	Sec 47. Penalty for tempering with licence [Fine which may extend to Twenty Thousand Rupees for the 1st offence]	₹20,000/-
17.	Sec 53(3). Provision of any rule made under the Act	Sec 53(3). Penalty for breach of provision of any rules for which no punishment is provided	₹5,000/-

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

PANKAJ KUMAR, IAS, Controller, Legal Metrology

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.17 16:32:57 +05'30'